उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–17/2021–22

रामइकबाल सिंह वगै0

बनाम्

उपेन्द्र सिंह वगै0

–: आदेश :–

दिनांक 7/0/22

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील को सुना एवं अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल वाद वापसी आवेदन का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–29/2019–20 आदेश दिनांक–08.12.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया था। अपील वाद स्वीकृत करने के बाद उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश किया गया था। उत्तरवादी न्यायालय में उपस्थित होने के बाद कोई लिखित उत्तर दाखिल नहीं किया था। बाद में सुनवाई के दौरान कई तिथि तक अनुपस्थित भी रहे और दिनांक–25.03.2022 को वे न्यायालय में उपस्थित हुए और दस्तावेज जमा करने के लिए समय की मांग की गई, जिसपर अगली तिथि दिनांक–01.04.2022 को निर्धारित की गई। दिनांक–01.04.2022 को दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए, जिसपर दिनांक–08.04.2022 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। सुनवाई तिथि को अपीलकर्त्ता की ओर से हाजरी दायर किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से अपीलकर्त्ता के वकील पुकार पर उपस्थित नहीं हो सके। क्योंकि दोपहर 12.30 बजे तक सिविल कोर्ट में कार्य कर रहे थे। अपीलकर्त्ता भी अपने वकील को बुलाने आया था। इसलिए अपीलकर्त्ता भी उपस्थित नहीं थे। जिस कारण से वाद की कार्रवाई को समाप्त कर दिया है। उनका आगे कहना है कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के प्रावधान के अनुसार खारिज किये गये मामले को पुनः चालू करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन मामले की पुनः प्रारम्भ करने के लिए संथाल सिविल नियम की धारा– 13(1) में प्रावधान है। चूँकि अपीलकर्त्ता मामले में अपना तर्क देना चाहता है और वाद वापसी का आवेदन समय सीमा के अंदर दिया गया है। इसलिए अपीलकर्त्ता के आवेदन को स्वीकार करते हुए अपील वाद की कार्रवाई को चालू करने की कृपा की जाय।

विद्वान सरकारी वकील का कथन है कि समाप्त किये गये अपील आवेदन को पुनः वापस सुनने के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 में कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी अपीलकर्त्ता का वाद वापसी आवेदन काल बाधित होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है। अपीलकर्त्ता चाहे तो नया वाद दायर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का वाद वापसी आवेदन खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक–01.04.2022 को दोनों ही पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा अनुरोध किया गया था कि दिनांक–08.04.2022 को बहस किया जायेगा। इसके बावजूद अपीलकर्त्ता निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहे। विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 में वाद वापसी हेतु कोई प्रावधान नहीं है। अतएव वाद वापसी का आवेदन को स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता का वाद वापसी आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.26 11:36:38 +05:30
Location: 172.28.32.1